अति – आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(46) ग्राविवि/ग्रुप–5/ PMAY-G / M-1 /GOI/2017–18 जयपुर, दि 13 सितम्बर, 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र)
समस्त, राजस्थान।

विषय :– ग्राम समृद्वि व स्वच्छता पखवाडा (01–15 अक्टूबर, 2017)

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.08.2017 एवं 29.08.2017

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रासांगिक पत्रों द्वारा ग्राम समृद्वि एवं स्वच्छता पखवाडा दिनांक 01.10.2017 से 15.10.2017 तक आयोजित करने एवं पखवाडें के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सम्बंध में निर्देशित किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त सम्बंध में दिनांक 06.09.2017 को आयोजित कार्यशाला में दिये गये निर्देशों के क्रम में ग्राम समृद्वि एवं स्वच्छता पखवाडा के दौरान, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावें:–

1. योजना की सामान्य जानकारी एवं देय लाभों की जानकारी हेतु बैनर/फ्लैक्स/होर्ल्डिग प्रिन्ट कराया जाकर, जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शन।
2. योजनान्तर्गत निर्मित आवासों की सफलता की कहानियों के फोटों सहित बैनर/फ्लैक्स/होर्ल्डिग प्रिन्ट कराया जाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत पर प्रदर्शन।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों की सूची का ग्राम पंचायत कार्यालय पर दीवार लेखन कराया जावें एवं वरीयता सूची का ग्रामसभा में पठन।
4. योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 के लक्ष्यानुसार स्वीकृति जारी कर दिनांक 30.09.2017 तक प्रथम किश्त हस्तानान्तरण।
5. नवस्वीकृत आवासों का भूमि पूजन एवं निर्मित पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश।
6. लाभार्थियों से उनको देय अनुदान राशि के प्राप्त होने का सत्यापन।
7. ग्राम पंचायत स्तर पर लाभार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित कर द्वितीय व तृतीय किश्त के आवेदन तैयार कराना।
8. स्थानीय समाचार पत्रों में अपील जारी कराकर योजना का प्रचार–प्रसार कराना।
9. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/सीएम हेल्पलाईन पर प्रदर्शित प्रकरणों का पखवाडे के दौरान अनिवार्य रूप से समाधान।

उपरोक्त गतिविधियो की वीडीयों रिकॉडिंग सफलता की कहानी के रूप में अनिवार्य रूप से कराई जावे एवं पखवाडे की संकलित प्रगति में शामिल कराया जावें।

13.9.2017
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविं एव पराविं।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. जिला कलक्टर समस्त, राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मो.एवं.मू) ग्राविवि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि